"बिजनेस पोस्ट के . अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2010— भाद्र 5, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमतीं कविता साहू पति श्री अरूण कुमार साहू, उम्र-33 वर्ष, निवासी-ई-107, समता कालोनी, कृष्णा टाकीज के पास, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पा साहू आत्मजा श्री राधिका प्रसाद साहू दर्ज है. विवाह के पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती कविता साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कविता साहू पति श्री अरूण कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमतीं पुष्पा साहू पति-श्री अरूण कुमार साहू निवासी-ई-107, समता कालोनी. कृष्णा टाकीज के पास रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती कविता साहू पति-श्री अरूण कुमार साहू निवासी-ई-107, समता कालोनी, कृष्णा टाकीज के पास रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि मैं, राजीव कुमार जैन आत्मज श्री सुरेश कुमार जैन, उम्र-26 वर्ष, निवासी-गांधी चौक, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल रिकार्ड एवं दस्तावेजों में मेरा नाम प्रतीक कुमार जैन अंकित है तथा कुछ अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजीव कुमार जैन अंकित है. मैं राजीव कुमार जैन उर्फ प्रतीक कुमार जैन के नाम से जाना जाता हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम प्रतीक कुमार जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रतीक कुमार जैन आत्मज श्री सुरेश कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजीव कुमार जैन आत्मज-श्री सुरेश कुमार जैन निवासी-गांधी चौक, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 491001	प्रतीक कुमार जैन आत्मज-श्री सुरेश कुमार जैन निवासी-गांधी चौक, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 491001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेखर राम आत्मज श्री वालेश्वर राम चन्द्रवंशी, उम्र-47 वर्ष, निवासी-पंप हाउस कालोनी, क्वार्टर नं. एम/296, कोरबा, पोस्ट आफिस कोरबा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शेखर राम सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शेखर राम सिंह आत्मज श्री वालेश्वर राम चन्द्रवंशी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शेखर राम आत्मज-श्री वालेश्वर राम चन्द्रवंशी निवासी-पंप हाउस कालोनी, क्वार्टर नं. एम/296, कोरबा पोस्ट आफिस कोरबा, जिला कोरबा (छ. ग.)	शेखर राम सिंह आत्मज-श्री वालेश्वर राम चन्द्रवंशी निवासी-पंप हाउस कालोनी, क्वार्टर नं. एम/296, कोरबा पोस्ट आफिस कोरबा, जिला कोरबा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (4) वर्ष 2009-10

क्रमांक /38/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— आवेदक श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी समता कालोनी रायपुर जिला रायपुर ने सेठ बनारसी दास चेरीटेबल ट्रस्ट महेन्द्र स्टील्स दादा बाड़ी के पास एम. जी. रोड रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने की इच्छुक हो तो वे दिनांक 10-09-2010 तक न्यायालीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/ एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	सेठ बनारसी दास चेरीटेबल ट्रस्ट, महेन्द्र स्टील्स दादा बाड़ी के पास एम. जी. रोड़ , रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	1,00,000 रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06-08-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/1413.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 1785 /बिलासपुर, दिनांक 31-8-07 के तहत कृषि कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजेन्द्र नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 93 दिनांक 14-3-97 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत् श्री एम. पी. श्रीवास, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहा. पंजी. (अंके.)सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. एस. ठाकुर, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/ सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. एस. ठाकुर,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./513.— प्रा. वृक्ष एवं पर्या. सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा, पंजी. क्र. 3911 दिनांक 10-2-98 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./553 दिनांक 14-08-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्रा. वृक्ष एवं पर्या. सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा विकासखंड कोरबा को पंजीयन क्रमांक 3911 दिनांक 10-02-98 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय को (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./514.— सर्वमंगला रेफ्रीजरेशन एवं इले. सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा, पंजी. क्र. 32 दिनांक 8-11-02 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./892 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए सर्वमंगला रेफ्रीजरेशन एवं इले. सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा विकासखंड कोरबा को पंजीयन क्रमांक 32 दिनांक 8-11-02 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय को (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./515.— प्राथ. उप. भंडार M P E B सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा, पंजी. क्र. 3388 दिनांक 4-5-91 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./877 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्राथ. उप भंडार M P E B सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा विकासखंड कोरबा को पंजीयन क्रमांक 3388 दिनांक 4-5-91 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय को (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./516.— आबकारी आदि. सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा, पंजी. क्र. 3829 दिनांक 8-11-97 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./868 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. ...... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए आबकारी आदि. सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा विकासखंड कोरबा को पंजीयन क्रमांक 3829 दिनांक 8-11-97 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय को (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./517.— बाल्को श्रमिक सहकारी समिति मर्या., बाल्को, वि. ख. कोरबा, पंजी. क्र. 3404 दिनांक 30-4-91 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./552 दिनांक 14-08-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., बाल्को की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए बाल्को श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, बाल्को विकासखंड कोरबा को पंजीयन क्रमांक 3404 दिनांक 30-4-91 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय को (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./518.— प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बरपाली, वि. ख. पाली, पंजी. क्र. 3422 दिनांक 14-11-91 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./867 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., बरपाली की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, बरपाली विकासखंड पाली को पंजीयन क्रमांक 3422 दिनांक 14-11-91 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय को (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण [illegible]